संख्या-851/2023/2566/35-4-2023/35-4099/60/2021

प्रेषक,

जे० एल० यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रायबरेली।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 12 अक्टूबर, 2023

विषय: त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत जनपद रायबरेली में राजकीय पालीटेक्निक भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र-सलोन के गोपालपुर में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक के भवन निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-26/2020/265/35-4-2020 दिनांक 17.02.2020 द्वारा स्वीकृत अनुमोदित लागत रू० 1775.30 लाख एवं शासनादेश संख्या-127/2022/366/35-4-2022 दिनांक 19.04.2022 द्वारा पुनरीक्षित लागत रू० 2431.05 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-26/2020/265/35-4-2020 दिनांक 17.02.2020 द्वारा रू० 200.00 लाख, शासनादेश संख्या-92/2021/1077/35-4-2021 दिनांक 08.07.2021 द्वारा रू० 687.65 लाख तथा शासनादेश संख्या-351/2022/1217/35-4-2022/35-4099/60/2021 दिनांक 03.10.2022 द्वारा रू० 935.64 लाख अर्थात अब तक कुल रू० 1823.29 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2. जिलाधिकारी के पत्रांक-734/मा0मु0घो0/त्व0आ0वि0यो0/2023-24 दिनांक 27.09.2023 द्वारा उक्त शासनादेशों से स्वीकृत प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त की गई कुल धनराशि रू० 1823.29 लाख का 79.53 प्रतिशत अर्थात रू० 1450.00 लाख उपभोग किया जाना इंगित किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेशों द्वारा पूर्व में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष चतुर्थ किश्त की धनराशि रू० 607.76 लाख (रूपये छः करोड़ सात लाख छिहत्तर हज़ार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि (रू. लाख में)

कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	पुनरीक्षित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
राजकीय पॉलिटेक्निक के भवन	1775.30	2431.05	1823.29	607.76

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

निर्माण, गोपालपुर, सलोन, जनपद- रायबरेली ।				

1- सन्दर्भित शासनादेशों यथा दिनांक 17.02.2020, दिनांक 08.07.2021, दिनांक 19.04.2022 एवं दिनांक 03.10.2022 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2024 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2024 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2024 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च,2023 यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्याः 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक-19 सितम्बर, 2023 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये धनराशि कुल रू० 607.76 लाख (रूपये छः करोड़ सात लाख छिहत्तर हज़ार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 42020210403030 2 राजकीय पॉलीटेक्निक भवन निर्माण के चालू कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्याः10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक-19 सितम्बर,2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
जे० एल० यादव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या -851/2023(1)/2566/35-4-2023/35-4099/60/2021/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग ।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल।
8- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर, उ0प्र0 ।
9- निदेशक ,उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, रायबरेली ।
11-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रायबरेली ।
12-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी , रायबरेली ।
14- परियोजना प्रबंधक निर्माण इकाई-अमेठी, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, गौरीगंज-अमेठी ।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
जे० एल० यादव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।